Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release **09-11-2025**

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025
चुनाव के लिए आज होंगे मतदान दल रवाना

जयपुर, 9 नवम्बर। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता के साथ विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत 11 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए सोमवार को मतदान दल निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिए कूच करेंगे। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र में 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। रवानगी से पहले मतदान दलों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण स्थल पर विशाल पाण्डाल बनाया गया है।

जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि मतदान दलों को सुबह 8 बजे प्रशिक्षण देकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा। रवानगी से पूर्व उन्हें मतदान दिवस पर की जाने वाली गतिविधियों, महत्वपूर्ण नियमों, सावधानियों व निर्देशों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात मतदान दल प्रशिक्षण स्थल से मतदान सामग्री प्राप्त कर आवंटित वाहन से पुलिस बल, वीडियोग्राफर व माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार चैक पोस्ट पर एन्ट्री कराते हुए संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र व भयमुक्त माहौल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दलों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, शीतल पेयजल आदि की उपलब्धता रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक सहित निर्वाचन से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

प्रचार का शोर थमा

विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत मतदान समाप्ति समय से 48 घंटे पूर्व रविवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इन 48 घंटों की अवधि में सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में जुलूस, चलचित्र,

टेलीविजन या अन्य माध्यमों से प्रचार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही लाउडस्पीकरों के माध्यम से भी प्रचार वर्जित रहेगा। वहीं इस अवधि में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकेगा।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

Media

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release 09-11-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026

6 दिन में गणना प्रपत्र वितरण 2 करोड़ 18 लाख के पार

बीएलओ द्वारा मतदाता गणना प्रपत्र अपलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू

जयपुर, 9 नवम्बर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की शुरुआत के बाद से अब तक प्रदेश भर में गणना प्रपत्र वितरण का आंकड़ा 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गया है। राज्य के 40% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचा जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि रविवार को 6 दिवसों की समाप्ति तक गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर एवं चित्तौड़गढ़ जिले लगातार अग्रणी चल रहे हैं। इन जिलों में 50% से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जबकि जोधपुर हनुमानगढ़ बीकानेर सिरोही में यह प्रतिशत 35 से भी कम है।

कम वितरण वाले जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन द्वारा प्रगति लाने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विधानसभा क्षेत्रों में वैर 66.5% मतदाताओं तक गणना प्रपत्रों को पहुंचाकर इस सूची में सबसे ऊपर स्थान बनाए हुए हैं जबकि 25% वितरण के साथ गंगानगर विधानसभा क्षेत्र सबसे नीचे है।

ऑनलाइन गणना प्रपत्र के लिए रणनीति

श्री महाजन ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर भी जमा करा सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब यानी ईएलसी के जरिए यह सूचना सभी युवाओं तक पहुंचाई जाए कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने के लिए

ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने की भी सुविधा दी है। उन्होंने बताया कि मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने से संबंधित वीडियो ट्यूटोरियल निर्वाचन विभाग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किए गए हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुझाव दिया कि विभिन्न प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए समन्वय किया जाए।

गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

मतदाता केवल खुद अपने लिए ही ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकता है। इसके लिए मतदाता सूची 2025 और आधार कार्ड का उपयोग करने वाले ई-हस्ताक्षर उपकरण पर मतदाता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना जरूरी है। अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने वाले मतदाता को BLO द्वारा दिया जाने वाला फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।

मैपिंग में प्रदेश अग्रणी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित मैपिंग में प्रदेश अग्रणी है।मैपिंग के इस कार्य में 75% से अधिक की मैपिंग के साथ बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा, नागौर, दौसा, फलोदी जिले अग्रणी चल रहे हैं किंतु जिन जिलों में अभी इस कार्य को और अधिक सजगता एवं तत्परता से किए जाने की आवश्यकता है, वे है जयपुर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर एवं अजमेर।

मैपिंग से फायदा

राज्य के वे सभी मतदाता जिनका मिलान देश के किसी भी राज्य के विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची के साथ हो जाता है तो उन्हें इस संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह से मैपिंग मतदाताओं के लिए एक सुविधा जनित प्रक्रिया है।

भरे हुए गणना प्रपत्रों को बीएलओ द्वारा अपलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ

भारत निर्वाचन आयोग ने आज गणना प्रपत्रों को BLO के द्वारा अपलोड करने सुविधा प्रारंभ कर दी है। मतदाता द्वारा ऑफलाइन भरे गए फॉर्म को BLO अपने ऐप पर अपलोड करेंगे। मतदाता द्वारा ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सीधे ही बीएलओ को उनके बीएलओ एप पर दिखेंगे जिन्हें BLO सत्यापित कर अपलोड करेंगे।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release 09-11-2025

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025
चुनाव के लिए आज होंगे मतदान दल रवाना

जयपुर, 9 नवम्बर। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता के साथ विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत 11 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए सोमवार को मतदान दल निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिए कूच करेंगे। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र में 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। रवानगी से पहले मतदान दलों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण स्थल पर विशाल पाण्डाल बनाया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि मतदान दलों को सुबह 8 बजे प्रशिक्षण देकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा। रवानगी से पूर्व उन्हें मतदान दिवस पर की जाने वाली गतिविधियों, महत्वपूर्ण नियमों, सावधानियों व निर्देशों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात मतदान दल प्रशिक्षण स्थल से मतदान सामग्री प्राप्त कर आवंटित वाहन से पुलिस बल, वीडियोग्राफर व माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार चैक पोस्ट पर एन्ट्री कराते हुए संबंधित मतदान केन्द्र पर पहंुचेंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र व भयमुक्त माहौल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दलों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, शीतल पेयजल आदि की उपलब्धता रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक सहित निर्वाचन से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

प्रचार का शोर थमा

विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत मतदान समाप्ति समय से 48 घंटे पूर्व रविवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इन 48 घंटों की अवधि में सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में जुलूस, चलचित्र,

टेलीविजन या अन्य माध्यमों से प्रचार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही लाउडस्पीकरों के माध्यम से भी प्रचार वर्जित रहेगा। वहीं इस अवधि में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकेगा।